# भुंजिया

## एक विशेष पिछड़ी जनजाति

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

2020

# प्राक्कथन

भुंजिया छत्तीसगढ़ राज्य की जनजातियों में से एक प्रमुख जनजाति है। किवदंती अनुसार आग में जलने के कारण इन्हे भुंजिया कहा गया। इनकी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति राज्य में निवासरत अन्य विशेष पिछड़ी जनजातियों के समतुल्य मानते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भुंजिया जनजाति को राज्य स्तर पर विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है।

भुंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद, महासमुंद एवं धमतरी जिले में प्रमुखता से निवासरत है। ये चौखुटिया एवं चिंदा भुंजिया दो उपजातियों में विभक्त है। यह जनजाति बर्हिविवाही गोत्रीय समुदाय है। इनमें नेताम, मरकाम, मरई, सुआर आदि गोत्रनाम पाये जाते है, यह पितृवंशीय समुदाय है।

भुंजिया जनजाति की उपजाति चौखुटिया भुंजिया की एक विशिष्ट पहचान उनका लाल बंगला अर्थात् एक रसोई घर है। भुंजिया जनजाति की अर्थ व्यवस्था कृषि, वनोपज संकलन, पशुपालन, मजदूरी आदि पर आधारित है। इनमें ठाकुर देव, शीतला माता, माटी दाई एवं अन्य पूर्वज देव आराध्य है। नवाखाई इनका प्रमुख त्यौहार है।

शासन द्वारा इनके समग्र विकास हेतु भुंजिया विकास अभिकरण गठित कर विभिन्न विकासमूलक योजनाएं संचालित की जा रही है।

छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों के ''**छायांकित अभिलेखीकरण श्रृंखला**'' के अन्तर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा **भुंजिया जनजाति के जीवनशैली पर आधारित फोटो हैण्डबुक** प्रकाशित की गई है। हम आशा करते है कि, संस्थान के संचालक के मार्गदर्शन में अनुसंधान दल द्वारा तैयार की गई इस पुस्तिका में दर्शित तथ्य राज्य के संबंधित जनजाति समुदाय एवं जनजातीय संस्कृति में रूचि रखने वाले लोगों के लिए लाभप्रद एवं उपयोगी होगी।

**शम्मी आबिदी IAS**
संचालक
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

**डी.डी.सिंह IAS**
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

# भुंजिया

## एक विशेष पिछड़ी जनजाति

मार्गदर्शन – शम्मी आबिदी, संचालक

प्रस्तुतिकरण – अमर दास

सहयोग – डॉ. अनिल विरूलकर



आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

# परिचय

भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 42 जनजातीय समुदायो एवं उसके उपजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्य करते हुए उनमें से 5 अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट लक्षण आधारित मापदण्डों यथा स्थिर या कम होती जनसंख्या, न्यून साक्षरता दर, कृषि की आदिम तकनीक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य की भुंजिया अनुसूचित जनजाति की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों के समतुल्य मानते हुए राज्य स्तर पर इस समुदाय को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है।

भुंजिया विशेष पिछड़ी जनजाति का संकेद्रण राज्य में मुख्यतः गरियाबंद, धमतरी एवं महासमुंद जिले में है। भुंजिया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, देवभोग मगरलोड, महासमुंद एवं बागबाहरा विकासखण्डों के छोटे–छोटे ग्रामों में निवासरत है।

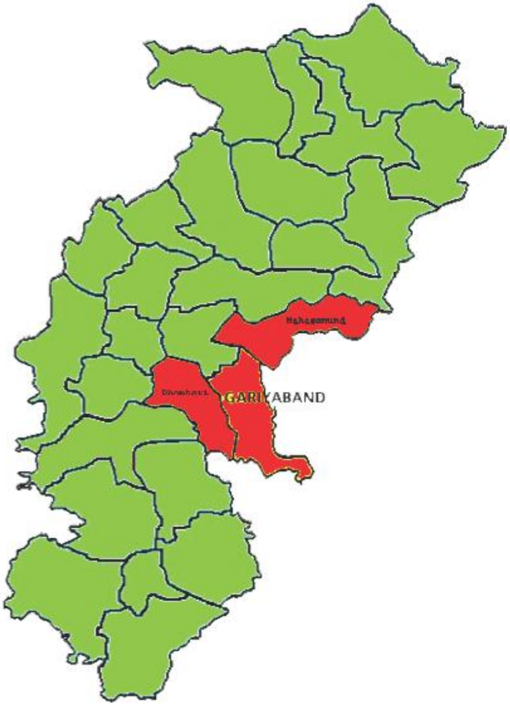

भारत की जनगणना 2011 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में भुंजिया विशेष पिछड़ी जनजाति की कुल जनसंख्या 10603 है। भुंजिया जनजाति में स्त्री–पुरूष लिंगानुपात 1029 है। भुंजिया विशेष पिछड़ी जनजाति की राज्य में साक्षरता दर 50.93 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता दर 64.19 प्रतिशत एवं स्त्री साक्षरता दर 38.04 प्रतिशत है।

# उत्पत्ति

भुंजिया जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में अवधारणा है कि, सतयुग में भगवान शंकर एवं माता पार्वती विचरण करते हुए चित्रकुट की ओर गये। चित्रकुट की प्राकृतिक छटा देख भगवान शंकर ने वहां विश्राम करने का विचार किया तथा विश्राम करते हुए भगवान शंकर ध्यानमग्न हो गये।  तब समय व्यतीत करने माता पार्वती द्वारा वहीं नदी के घुपा रेती (महीन रेत) और घास–फूंस से एक छोटी कुटिया का प्रतिरूप और दो स्त्री–पुरूष का पुतला बनाया। उन पुतलों को कुटिया में रख कर माता पार्वती स्नान करने चली गई। इसी समय भगवान शंकर के चिलम से निकली आग/चिंगारी से घास–फूंस से बनी कुटिया में आग लग गई जिससे भीतर रखे पुतले भी आग से झुलस गये। माता पार्वती के हठ को देख भगवान शंकर ने उन पुतलों को पुन: जीवित कर दिया। आग में जलने के कारण इन्हे भुंजिया (आग से जलने के वाले) नाम प्रदान किया। इन्ही के वंशज ही भुंजिया जातिनाम से जाने जाते है।

# बसाहट एवं आवास

भुंजिया जनजाति निवासित ग्राम भौगोलिक स्थिति के अनुरूप आयताकार, गोलाकार या लम्बवत होते हैं। ग्राम में प्रवेश करने पर संपर्क सड़को से एक कच्चा मार्ग ग्राम में प्रवेश करता है। इस कच्चे मार्ग के दोनो ओर घर बने होते है। ग्राम के प्रारंभ या अंत में ग्राम देवी–देवता का स्थान होता है। जहां वर्ष मे कम से कम एक बार पूजा अर्चना की जाती है। ग्राम के मध्य या प्रारंभ में प्राय: एक वृक्ष के नीचे एक बड़ा चबुतरा होता है जहां ग्रामवासी अपनी बैठकें या सामान्य चर्चा हेतु भी एकत्र होते है।

भुंजिया जनजाति के घर प्रायः मिट्टी निर्मित, छत खपरैल की होती है जिसमें प्रांगण रूप में घर की बनावट होती है। आवास की परिधि में मोटी–मोटी लकड़ियों का घेरा किया जाता है। जो एक घर को दूसरे घर से पृथक करता है। इस घेरे के भीतर ही प्रवेश द्वार से क्रमशः इनके पशु हेतु कोठा (पशु घर), मुख्य आवास, पृथक से लाल बंगला निर्मित किया जाता है। मध्य में पूर्वज देव या पितर देव का स्थान होता है तथा एक ओर वनोपज संग्रहण की वस्तुएं तथा मवेशियो हेतु चारा या पैरा रखा जाता है।

भुंजिया जनजाति द्वारा अपने घर स्वयं बनाये जाते है जिसके लिए आवश्यक सामाग्री जैसे – मिट्टी, लकड़ी, बांस, खदर/घास आदि खेतों तथा जंगल से प्राप्त करते हैं है। घरों के निर्माण में परिवार एवं ग्राम के सदस्यों की सहायता ली जाती है। गृह निर्माण हेतु मिट्टी बनाना (मिट्टी के लोंदे), खपरैल, ईंट आदि स्वयं द्वारा तैयार किया जाता है। घर प्रायः 1–2 कमरे का होता है, घर के दो मुख्य भाग पहला परछी एवं दूसरा मुख्य कक्ष होता है।

# भौतिक संस्कृति

भुंजिया जनजाति में घरेलु उपयोग की वस्तुएं कृषि एवं अन्य अर्थोपार्जन के उपकरण, शिकार उपकरण, वस्त्र विन्यास, श्रृंगार प्रसाधन आदि भौतिक संस्कृति के रूप में परिलक्षित होते है। घरेलु उपयोग की वस्तुओं के अन्तर्गत सामान्यत: पानी भरने हेतु नोखी, गोरिया, गंजी, भात बनाने हेतु रांगा (बांगा) सब्जी हेतु कढ़ही, दाल निकालने हेतु लकड़ी की चाटु या बेला, सब्जी निकालने तासनी, अनाज पिसने एवं कुटने जांता व ढेंकी, अनाज रखने हेतु परली, कपड़ा टांगने लाहंगी, सब्जी काटने हेतु पौसाल आदि प्रमुख है।

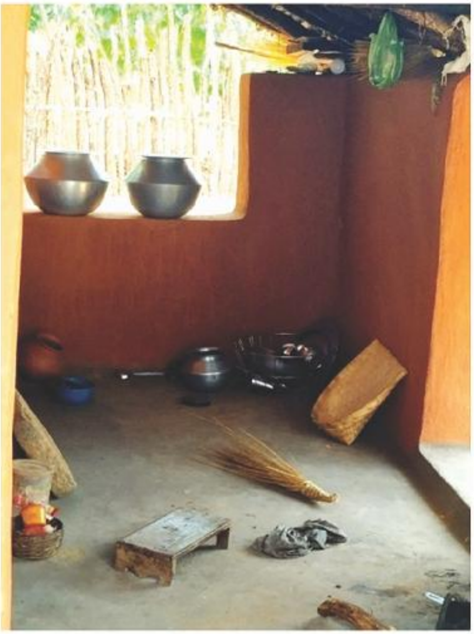

कृषि उपकरणों में जमीन जुताई हेतु नागोल (नांगर), बैलो को जोतने हेतु बैलजुड़ा, धान का बीड़ा लाने सुर, पैरा से धान पृथक करने कलारी, जमीन समतल करने एवं खोदने रांपा व कुदारी, लकड़ी काटने टांगी, मिट्टी फेकने बांस निर्मित छापी, अनाज मापने हेतु सोला, ओड़ा, मान, सेर, काठा के माप प्रमुख है।

शिकार उपकरणों में धनउ–कांड, मांस काटने हेतु टंगली, पक्षियों के शिकार हेतु धनउ–गुलेल, गुट्टा, मछली मारने हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे चोभा, टोहेला, झोपनी, दांदर, थांपा, खरगोश फसाने हेतु भठेला व थुंगा तार, चुहा फसाने चुहा थुंगा व पक्षियों के जाल चोप आदि प्रमुख है।

भुंजिया के परिधान एवं श्रृंगार अंतर्गत विवाहित स्त्रियों में प्रमुख रूप से श्वेत साड़ी प्रचलित है तथा बालों में चपकैन क्लिप, कान में खिनवा, गले मे सुता, मोती माला, बांह में पहुंची, कलाई में कड़ा व कांच की चुड़ी, अंगुलियों में धातु की मुंदी, कमर में करधन, पैर मे पैड़ी तथा पैर की अंगुली में बिछिया प्रमुख है। पुरुष वर्ग सामान्यतः श्वेत रंग की बंडी एवं धोती पहनना पसंद करते है।

# सामाजिक संरचना

भुंजिया जनजाति की दो उपजातियां चौखुटिया एवं चिंदा भुंजिया पायी जाती है। सामाजिक स्तरीकरण में चौखुटिया भुंजिया स्वयं को अधिक शुद्ध, स्वच्छ एवं पवित्र मानते हुए चिंदा भुंजिया से उच्च मानती है।

भुंजिया जनजाति में गोत्र व्यवस्था पायी जाती है। यह जनजाति बर्हिविवाही गोत्र व्यवस्था का समुदाय है। इनमें प्रमुख रूप से नेताम एवं मरकाम गोत्र पाये जाते है।

इनके अन्तर्गत पुजारी, पाती, आमारूखिया, सुआर, नाईक, सरमत, मरई, पोटियाहा आदि गोत्र उपविभाजन भी विद्यमान है जिनका अपना सामाजिक स्तरीकरण है। इनमें पितृवंशीय एवं पितृसत्तात्मक व्यवस्था पायी जाती है। इनमे सामान्यत: केन्द्रीय परिवार अधिकतर दिखलाई पड़ते है। संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्रों की ओर होता है। इनमें रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी नातेदारी प्रमुख है तथा परिहास एवं परिहार संबंधो का पालन किया जाता है। इनमें अर्न्तजातीय सहसंबंध निश्चित सीमा तक मान्य है।

# लाल बंगला

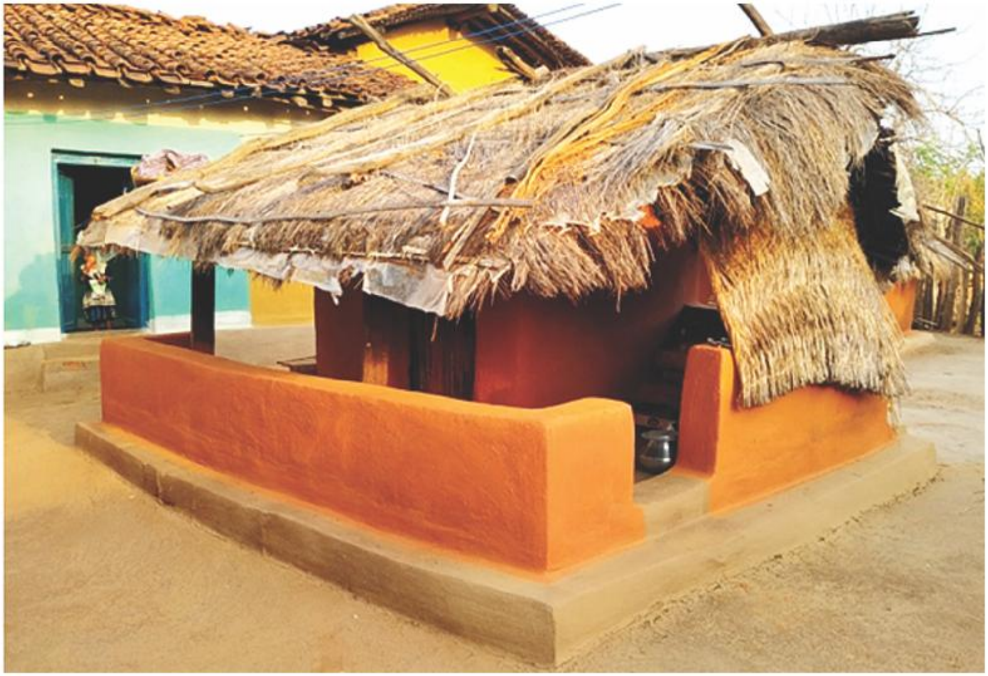

राज्य की भुंजिया जनजाति की एक विशिष्टता उनमें प्रचलित ''**लाल बंगला**'' है। लाल बंगला स्वयं में स्वच्छता और शुद्धता का प्रतीक है जो भुंजिया जनजाति को एक विशिष्ट पहचान देता है। चौखुटिया भुंजिया उप–जनजाति में उनका रसोई घर ही लाल बंगला कहलाता है। जिसे वे **रंधनी घर या रंधनी कुरिया** कहते है। मान्यतानुसार लाल बंगला की उत्पत्ति को भुंजिया जनजाति रामायण कालीन सीताहरण के अध्याय से जोड़कर देखती है जिस प्रकार लक्ष्मण द्वारा माता सीता को दुष्टों से बचाने लक्ष्मण रेखा के भीतर रखकर राम की सहायता के लिए वन में गये थे। उसी धारणा के अनुसार राम जी की सहायता स्वरूप भुंजिया जनजाति के पूर्वजों द्वारा भी घर की महिलाओं को लक्ष्मण जी से सुरक्षा घेरा बनवाकर रसोई घर में रखते हुए राम लक्ष्मण की सहायता हेतु वन की ओर गये थे।

तब से इनमें लाल बंगला बनायें जाने की प्रथा प्रचलित है।

लाल बंगला मुख्य आवास घर के समीप बनाया जाता है। प्राय: विवाह उपरांत दम्पत्ति को अपना लाल बंगला बनाना अनिवार्य होता है। लाल बंगला हेतु जंगल से लकड़ी लाने, मिट्टी बनाने (मिट्टी खोदकर उसे गीला कर मिट्टी के लोंदे बनाने का कार्य), छानही छाना (छत बनाना) पुरूष वर्ग का कार्य है। इसमें महिलाओं की सहभागिता होना निषेध है। वहीं फर्श की लिपाई, दीवारों की पुताई, चुल्हा बनाने का कार्य महिलाओं द्वारा ही किया जाता है।

लाल बंगले के फर्श की लिपाई विशेष रूप से गाय के गोबर से ही की जाती है। घर की पुत्री भी विवाह पश्चात अलग गोत्र की सदस्य होने के नाते अपने पिता के घर के लाल बंगला अथवा **रंधनी कुरिया** में प्रवेश नही कर सकती तथा किसी कारण से गोत्र के बाहर के व्यक्ति या विजातीय व्यक्ति द्वारा भूलवश स्पर्श कर लिया जाता है तो उसे ध्वस्त कर पुनः नया लाल बंगला निर्मित किये जाने की परम्परा है।

# जीवन संस्कार

भुंजिया जनजाति में कन्या के विवाह उपरांत 1–2 माह नाहवन छुटने या माहवारी नही आने पर उसे गर्भवती होना माना जाता है। गर्भकाल पूर्ण होने पर गर्भाशय से पानी स्त्राव होने को पनिया हड़िया छुटना कहते है। प्रसुता को प्रसव के 5–6 घण्टे बाद कुल्थी को 3 भाग पानी में 1 भाग होने तक पकाया जाता है और उस 1 भाग पानी प्रसुता को काढ़े के रूप में पीने दिया जाता है। कसापानी प्रसव के दिन से 7–8 दिन तक निश्चित अंतराल में पारंपरिक पेय दिया जाता है जिसे **कसापानी या हिरवापानी** कहा जाता है। यह पेय ताकत और प्रसव में हुए रक्त हानि को पूर्ण करने के उद्देश्य से दिया जाता है। शिशु जन्म के 07 दिन (छट्ठी के दिन) तक पुरूष समूह नवजात को नही छूते है। 07 वें दिन छट्ठी का कार्यक्रम किया जाता है।

छट्ठी के दिन प्रसुता महिला की शुद्धि की जाती है जिसे **इंटोला** करना कहते है। इस दिन प्रसुता स्त्री के साथ उसकी माता या सगोत्री महिला स्नान के लिए नदी या तालाब जाती है। प्रसुता अपने साथ माटी की टुहनी (छोटी हाण्डी) लेकर जाती है। हांड़ी में पानी गर्म कर गर्म पानी से प्रसुता स्नान करती है तथा उस हांड़ी को साफ कर लेती है। इसके बाद प्रसुता उस हांड़ी को सिर पर रख कर आग जलाए गए चुल्हे का भांवर (परिक्रमा) करती है और 07 वे भांवर के बाद उसे पीछे फेंक देती है। इसे **हाण्डी पटकी** कहा जाता है। हाण्डी को पीछे फेंकने से माना जाता है कि व्याप्त अशुद्धता वही रूक जाएगी और घर वापस नही आएगी।

इसी दिन नवजात शिशु का मुण्डन किया जाता है। मुण्डन का कार्य पिता या दादा या परिवार के सगोत्रीय सदस्य के द्वारा किया जाता है। इसी दिन शिशु को काला धागा कमर में बांधा जाता है जिसे **चामबंदी** कहते है। यह चाम पुरूष के कमर से उसकी मृत्यु उपरांत ही निकाला जाता है। इसी दिन शिशु का नामकरण भी किया जाता है।

भुंजिया जनजाति में विवाह का एक अनिवार्य प्रकार है जिसे कांड़ विवाह कहा जाता है। कांड़ विवाह भुंजिया बालिकाओं के लिए अनिवार्य है कांड़ विवाह का शाब्दिक अर्थ कांड़ (बाण) से विवाह का है। भुंजिया बालिकाओं में प्रथम मासिक स्त्राव (माहवारी) आने के पूर्व कांड़ विवाह किया जाना अनिवार्य होता है। यदि कोई बालिका कांड़ विवाह के पूर्व रजस्वला हो जाती है तो कन्या का हल्दी विवाह (सामान्य विवाह) नही होता है वरन् उसका चूड़ी विवाह किया जाता है।

भुंजिया जनजाति में लड़के के दाढ़ी–मूंछ आने व शारीरिक रूप से परिपक्व होने पर लड़के को विवाह योग्य माना जाता है। विवाह के लिए सबसे पहले लड़के के मामा की पुत्री को प्राथमिकता दी जाती है। जिसे दूध लौटावा कहा जाता है। इनमे सांकेतिक रूप से वधूमूल्य प्रथा पाई जाती है। भुंजिया जनजाति में विवाह 0 5 दिवस का होता है जिसमे प्रथम दिवस ईष्ट देव की पूजा, दूसरे दिन धरम खोटा, तीसरा दिन पुजेई एवं धरम टीका, चौथे दिन चौथिया तथा पांचवे दिन महलिया जाने की प्रथा प्रचलित है।

विवाह के छठे दिन से नव वधू के द्वारा उस परिवार की सदस्य होने के नाते उस पर हल्दी पानी छिड़ककर ससुराल के लाल बंगले में प्रवेश कराकर विधिवत रसोई का कार्य प्रारंभ कराया जाता है। भुंजिया जनजाति में सहमति विवाह के अतिरिक्त चुड़ी विवाह, विधवा विवाह, पैठू विवाह, पलायन विवाह, लमसेना विवाह आदि समाज द्वारा अधिमान्य विवाह होते है।

भुंजिया जनजाति में सामान्यत: शवाधान की परम्परा प्रचलित है। शव को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता है इसी स्थान से कुछ दूरी पर मृतक द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं (कपड़े, खाट आदि) को जला दिया जाता है तीसरे दिन घर की लिपाई पुताई कर स्नान किया जाता है। पुरूष दाढ़ी, मूंछ एवं सिर के बाल का मुण्डन कराते है। मुण्डन कार्य सामाजिक व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है। दसवें दिन मृत्यु भोज दिया जाता है। किसी गोतियार (समगोत्रीय सदस्य) की मृत्यु होने पर गोतियार के घर का चूल्हा और पीने के पानी का हड़िया (मटका) तोड़ दिया जाता है।

# आर्थिक जीवन

भुंजिया जनजाति की अर्थव्यवस्था कृषि, वनोपज संकलन, पशुपालन, मजदूरी पर आधारित है। वनोपज संकलन इनमे प्राय: चैत्र माह से आषाढ़ माह तक का होता है इस अवधि में चार, महुआ, तेंन्दुपत्ता, सरई बीज, बोड़ा, छाती (फूटू), तेन्दुफल, करील, भदेली फूटू, डोंगरी भाजी एवं आम आदि का संकलन किया जाता है। इनमे से महुआ, तेन्दुपत्ता एवं सरई बीज का स्थानीय हाट–बाजार आदि में विक्रय अथवा वस्तु विनिमय कर अर्थोपार्जन का कार्य करते हुए दैनिक आवश्यकताओं के वस्तुओं की पूर्ति करते है।

भुंजिया जनजाति के अर्थोपार्जन का मुख्य संसाधन कृषि है। अधिकांश परिवार परम्परागत तकनीक के माध्यम से कृषि कार्य करते है। कृषि भूमि की जुताई हेतु परम्परागत नागर, हल–बैल, फसल की मिंसाई हेतु दौरी अथवा बेलन अनाज को भण्डारण हेतु खेत से ले जाने सुर का उपयोग तथा भण्डारण हेतु घर में पैरा रस्सी (बगई) से निर्मित पात्र जिसे पुड़ा कहा जाता है या मिट्टी से निर्मित किये गये कोठी में संग्रहित किया जाता है। सामान्यत: इनके द्वारा एक फसल ली जाती है तथा मुख्य रूप से स्थानीय धान की बोआई की जाती है। साथ ही साथ जोंधरा (मक्का), स्वयं उपभोग हेतु अल्प मात्रा में उड़द या राहर का भी उत्पादन किया जाता है। भूमि की उपलब्धता अनुसार इनके द्वारा घर की बगरी (बाड़ी) मे स्वयं उपभोग हेतु साग–भाजी भी लगाई जाती है।

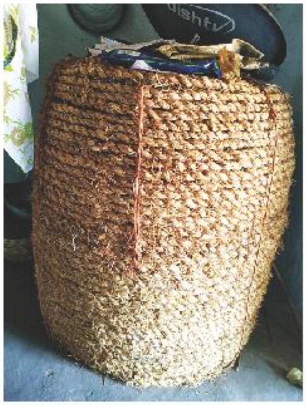

मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण कृषि उपयोगी पशुओं जैसे – बैल, भैंस, गाय का पालन किया जाता है। साथ ही अतिथि सत्कार, सामाजिक एवं धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मुर्गी, बकरी आदि का भी पालन किया जाता है। समय–समय पर भुंजिया परिवारों द्वारा ग्राम मे उपलब्ध मजदूरी कार्य से भी अर्थोपार्जन के कार्य किये जाते है।

# धार्मिक जीवन एवं तीज त्यौहार

भुंजिया जनजाति प्रकृति पूजक है। इनके देवी–देवता, ईष्ट देव प्रकृति से संबंधित जैसे वृक्ष, पहाड़, नदी, पशु–पक्षी आदि के स्वरूप में ही होते है। इनके द्वारा ईष्ट देव, ग्राम देव, ठाकुर देव, काल्हा देव, शीतला माता, बुढ़ी माता, रिच्छिन पाठ, धारणी दाई, माटी दाई के अतिरिक्त अन्य गोत्र देव एवं पूर्वज देव की पूजा की जाती है।

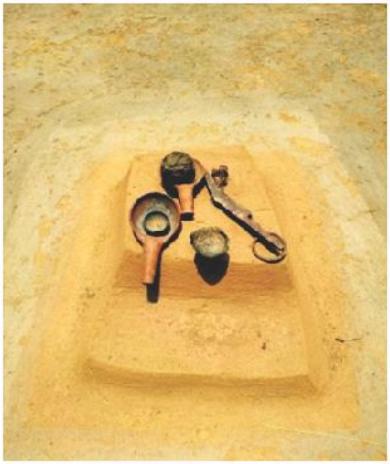

इनमें **नवाखाई** त्यौहार का विशिष्ट महत्व है जिसे भाद्र माह के प्रथमा या तृतीया के दिन नई फसल को अपने ईष्ट देव को अर्पित कर मनाया जाता है तथा इसी दिन घर की कुंवारी कन्या और छोटे बच्चों के द्वारा चांवल आटे का लेप बनाकर दोनों हाथों के पंजो के प्रतीक को **लाल बंगला** (**रंधनी कुरिया**) की बाहरी दीवारों पर छाप लगाई जाती है। जिससे इनके सामाजिक बंधुओं को ज्ञात हो जाता है कि इनके घर मे नवाखाई का त्यौहार मनाया जा चुका है।

अगहन माह में चंउर धोनी या रोटी खानी का त्योहार मनाया जाता है जिसमे चांवल को पीसकर मोटी रोटी बनाकर घर के **डूमा पितर** (पूर्वज देव) को अर्पित किया जाता है तथा यथा संभव कबरे मुर्गे की पुजेई दी जाती है। इसके अतिरिक्त भुंजिया जनजाति मे **फागुन**, **दशेरा**, **देवारी** त्यौहार भी मनाये जाते है।

# परम्परागत न्याय व्यवस्था

भुजिया जनजाति में परम्परागत न्याय व्यवस्था के साथ आधुनिक न्याय व्यवस्था का समावेश है। किन्तु स्वजातीय लोगों में विवाद या अप्रिय घटना के होने पर सामाजिक न्याय व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। भुजिया जनजाति में सामाजिक स्तर पर राजपाती, पुजेरी (राजा), सरमत (मंत्री) द्वारा समस्याओं का निपटारा किया जाता है।

ग्राम पंचायत स्तर पर उत्पन्न हुई समस्याओं का निदान ग्राम पटेल के माध्यम से किया जाता है। ग्राम पटेल का पद वंशानुगत होता है। यदि वंशानुगत सदस्य न हो तो परिवार का कोई योग्य सदस्य पटेल या राजा बनता है। चूंकि भुंजिया जनजाति में जाति पंचायत में महिलाओं की भागीदारी नही होती है किन्तु महिलाओं से संबंधित मामले होने पर उनके घर के पास जाकर उनसे जांच पड़ताल की जाती है।

परम्परागत भुंजिया जाति पंचायत मे अंतर्जातीय विवाह प्रकरण, सामाजिक नियमावली से संबंधित निषेधों के उल्लंघन, तीज त्योहारों के तिथि निर्धारण, आपसी लड़ाई झगड़े, चोरी आदि प्रकरणों का निपटारा किया जाता है तथा मामले ग्राम स्तरीय जाति पंचायतो में निराकरण न होने की स्थिति में परगना अथवा सर्कल क्षेत्र में मामले को ले जाया जाता है। परम्परागत जाति पंचायत व्यवस्था में समाज अथवा पंचो को भोज देना, नगद मूल्य देना अथवा जाति से बहिष्कृत किये जाने संबंधी दण्ड प्रावधान प्रचलित है।

# विकास एवं परिवर्तन

भुंजिया ग्रामो में बच्चों की औपचारिक शिक्षा एवं पोषण हेतु आंगनबाड़ी भवन एवं शालागामी बालक बालिकाओ के लिए विद्यालयों की स्थापना साथ ही साथ इन संस्थाओं के लिए स्वयं के भवन का निर्माण कार्य शासन द्वारा किया गया है।

भुंजिया क्षेत्रों में शासन द्वारा अधोसंरचनात्मक विकास अंतर्गत दूरस्थ ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु सड़क निर्माण का कार्य निरंतर किया जा रहा है। जिससे आवागन के साधनों में पूर्व की तुलना में वृद्धि हुई है।

भुंजिया ग्रामों में पंचायत अधिनियम में विहीत प्रावधानों का लाभ जनजातियो को सुलभ हो इसके लिए शासन द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय में पंचायत भवन का निर्माण किया गया है साथ ही लोगों को उचित मूल्य पर राशन प्रदाय करने हेतु सोसायटी भवन का निर्माण एवं वनोपज विक्रय हेतु विक्रय केन्द्रों का निर्माण किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त भुंजिया ग्रामों में सिंचाई सुविधा, पेयजल हेतु हैण्डपंप, नल, सिंचाई पंप, सौर उर्जा के पंप आदि से संबंधित योजनाएं भी संचालित है। इन समस्त प्रयासों से धीरे–धीरे राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति भुंजिया भी विकास की ओर अग्रसर है।

छत्तीसगढ़ की जनजातियों के ''छायांकित अभिलेखीकरण श्रृंखला'' क्र. 02 भुंजिया

संचालनालय, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

Email: trti.cg@nic.in
Ph: 0771-2960530, Fax 0771-2960531